

दैनिक

R

रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर रोका तो शख्स ने पुलिस कॉन्स्टेबल के साथ की मारपीट



मुंबई : महाराष्ट्र के मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने एक ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट और गालीगलौच की है। जवान ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर शख्स को रोके की कोशिश की थी लेकिन शख्स उल्टा जवान से ही मारपीट करने लगा। ये मामला मुंबई के कुर्ला इलाके का है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस वाले ने बाइक चालक को सिग्नल जंप करने पर सवाल पूछा तो बाइक चालक ने कॉन्स्टेबल से मारपीट और गालीगलौच शुरू कर दी। घटना 11 मार्च शाम 6 बजे की है।

वर्षा गायकवाड़ बन सकती है मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष !



मुंबई : मुंबई महानगरपालिका चुनाव जीतने को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की आपसी गुटबाजी को रोकने, दलित और अल्पसंख्यक समाज में एक नया संदेश देने के तहत आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन का मन बना लिया है। सूत्रों की माने तो पूर्ण मंत्री और धारावी की विधायक वर्षा गायकवाड़ को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा जानी है। बताया गया है कि एक सप्ताह के अंदर उनके नाम की धोणा कर दी जाएगी। हालांकि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप अपना पद बचाने को लेकर हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस की पिछले माह मुंबई कांग्रेस की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की सूची दिल्ली भेजी गयी थी। इस सूची के बाद कांग्रेस में नाराजगी एक बार सामने आयी। आरोप है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष थी, लेकिन राज्य में नई सरकार के गठन होने, फिर राहुल गांधी की भारत जोड़े यात्रा शुरू होने और अखिल भारतीय

एक सप्ताह में लिया जा सकता है निर्णय

का सदस्य बना दिया। इसके खिलाफ कुछ कांग्रेसियों ने दिल्ली में भी शिकायत थी।

विधान परिषद के चुनाव में क्रास वोटिंग हुई

पिछले वर्ष विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चंद्रकांत हंडोरे और भाई जगताप को उम्मीदवार बनाया था। सदन में विधायकों की संख्या को देखते हुए पहले पसंद का वोट चंद्रकांत हंडोरे को देने का निर्देश दिया गया था, जबकि भाई जगताप को बाहर से वोटों का जुगाड़ करने के लिए कहा गया था, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में क्रास वोटिंग हुई। जिसकी वजह से हंडोरे और जगताप दोनों 46 वोट का कोटा पूरा नहीं कर पाए थे। दूसरे क्रम के वोटों की गिनती में हंडोरे नहीं, बल्कि भाई जगताप को निर्वाचित घोषित किया गया था।

मुंबई में G20 बैठक से पहले BMC ने कसा शिकंजा

धूल फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई!

बंद होंगे निर्माण कार्य!

मुंबई : बहुमुंबई नगर निगम ने वायु प्रदूषण से निपटने और वातावरण को साफ रखने के लिए कमर कसी है। नगर निगम आयुक्त आईएस चाहल ने बीएमसी मुख्यालय में हुई बैठक के बाद घोषणा की कि एक अप्रैल से निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण उपाय अपनाने में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



और 01 अप्रैल, 2023 से इसे लागू किया जाएगा।

उल्लंघन करने वालों के निर्माण कार्य होंगे बंद!

चाहल ने बताया कि धूल के प्राकृतिक कारण हमारे वश में नहीं हैं, लेकिन निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों से धूल फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और धूल नियंत्रण उपायों का उल्लंघन करने वालों के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी। वर्तमान में मुंबई में 5,000 से अधिक स्थानों पर अलग-अलग निर्माण कार्य चल रहे हैं। धूल रोकने के लिए अंतिम मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी

मुंबई में चलते ऑटो रिक्षा पर गिरा लोहे का पाइप, मां-बेटी की मौत से छाया मातम !

मुंबई : मुंबई के जोगेश्वरी में शनिवार शाम एक निमाणीधीन इमारत की सातवीं मंजिल से लोहे का पाइप ऑटो रिक्षा पर गिर जाने से 28 वर्षीय एक महिला और उसकी 9 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। यह

दर्दनाक हादसा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास शाम करीब 5.45 बजे हुई। मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिस निमाणीधीन इमारत में ताजा दुर्घटना घटी है, वह जुगाड़ पुनर्वास

प्राधिकरण (एसआरए) की परियोजना थी। उन्होंने कहा कि 14 मंजिला इमारत के मचान की सातवीं मंजिल से लोहे की छड़ गिरने से ये हादसा हुआ।

कोर्ट ने दिया था ये फैसला

इस मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में बीएमसी से गणनचुंबी इमारतों के निर्माण में क्रेन के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा था। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरएन लड्डा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह



सही समय है, जब बीएमसी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दे। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हम दृढ़ता से मानते हैं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से हर उस जगह पर धूमने-फिरने का अधिकार, जो वास्तविक निर्माण स्थल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी निर्माण की वजह से सार्वजनिक जगहों पर लोगों के लिए मरने या चोट लगने का खतरा उत्पन्न करता है, तो इसे निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत आर्जिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

मां-बेटी दोनों की मौत

ऑटो रिक्षा में सवार 28 वर्षीय शमा बानो आसिफ शेख और उनकी 9 वर्षीय बेटी आयत आसिफ शेख 7वीं मंजिल से गिरने वाले लोहे के पाइप की चपेट में आने से बुरी तरह धायल हो गए। इस दौरान एक राहगीर ने सिविक हेल्पलाइन को सूचित करने के साथ ही उन्हें नजदीकी डॉमा के द्वारा अस्पताल ले गए। जहां डॉकरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि बच्ची को अंधेरी के कोकिलावेन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची मौत हो गई।

इससे पहले वर्ली इलाके में हुआ था हादसा

इस त्रासदी से पहले पिछले महीने वर्ली इलाके में एक सीमेंट ब्लॉक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई थी। यहां भी सीमेंट ब्लॉक निमाणीधीन इमारत से गिरा था। गौरतलब है कि 14 फरवरी को मध्य मुंबई के वर्ली में निमाणीधीन फोर सीजन प्राइवेट रेजिडेंस प्रोजेक्ट की 52वीं मंजिल से एक बड़ी सीमेंट ब्लॉक गिर गया था। इस दौरान परिसर के बाहर खड़े दो लोगों की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसके बाद डेवलपर की ओर से उचित देखभाल की कमी का आरोप लगाते हुए आस-पास के निवासियोंने बांस्के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

भारकर जाधव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा



मुंबई : भ्रष्टाचार में लिप्त हो व किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हो तो भाजपा में चले जाओ। वहां तुम्हें ईंटी, सीबीआई से मुक्ति मिल जाएगी। भाजपा की ओर से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से जुड़े नेताओं को क्लीन चिट दी जा रही है, उसे लेकर शिवसेना नेता व विधायक भास्कर जाधव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है।

दादर में गणेश उत्सव के दौरान हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने शिद्दि गुट के विधायक सदा सरवणकर को क्लीनचिट दी है। दादर पुलिस स्टेशन के बाहर फायरिंग सदा सरवणकर ने नहीं की है। यह पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। सरवणकर को दी गई क्लीनचिट पर भास्कर जाधव ने ईंटी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके पहले जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे। उनकी ईंटी और सीबीआई ने जांच की। उन लोगों को भाजपा में जाने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिलती गई।

ठाणे और मुंबई के बीच यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब मात्र 65 रुपये में कर सकेंगे सफर

ठाणे, ठाणे और मुंबई के बीच सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ठाणे नगर परिवहन ने शहरों के बीच चलने वाली अपनी एसी बस सेवाओं के किराए की कीमतों में बड़ी कमी की घोषणा की है। नगर निगम आयुक्त और प्रशासक अधिकारी बांगड़ ने इस संबंध में कहा कि टीएमटी बस किराए में लगभग 40-50 प्रतिशत की कमी करेगा।

अपने फैसले का बचाव करते हुए टीएमटी ने कहा कि वे इंप्रेल और टट्टल के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, जो ठाणे-बोरीवली और रासेडे मार्गों पर सेवाएं प्रदान करते हैं और अपनी बसों में टिकट की कीमत का लगभग आधा शुल्क लेते हैं। इस बीच, अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे जल्द ही डोर्बिंवली और पनवेल में एसी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रखे हैं।

40-50 प्रतिशत किराए में कटौती

नवा किराया क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद बसों



के बेड़े में शामिल किए गए बिजली से चलने वाली एसी बसों और बोल्टो सेवाओं दोनों पर लागू होगा। संशोधित दरों के मुताबिक टीएमटी एसी बसों का न्यूनतम किराया अब पहले दो किलोमीटर के लिए 50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 20 रुपये के बजाय 10 रुपये होगा, जबकि अधिकतम किराया 105 रुपये से घटाकर 65 कर दिया गया है, जो लगभग 40 प्रतिशत की कमी है। ये संशोधित किराया इसके बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आरटीए से मंजूरी के बाद होगा लागू

टीएमटी के परिवहन प्रबंधक भालचंद्र बेहरे ने कहा कि परिवहन समिति और प्रशासक ने किराया

संशोधन को मंजूरी दे दी है और इस सप्ताह के अंत में इसे आरटीए के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके तहत नए शामिल किए गए ई-पार्वड मिनी-एसी बसों के लिए किराए लागू किए जाएंगे। आरटीए की अनिवार्य मंजूरी मिलने के बाद इसे 30 वोल्वो बसों तक भी बढ़ाया जाएगा।

किराया कम करने के बाद भी कार्माई की संभावना

किराया कम होने से यात्रियों की मदद के साथ-साथ किराए में कटौती से औसत दैनिक यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने से उपक्रम को भी लाभ होगा। अधिकारियों ने कहा कि डीजल से चलने वाली बॉल्टो बसों की परिचालन लागत अधिक हो सकती है, लेकिन उन्हें उमीद है कि यात्रियों की संख्या अधिक होने से इस अंतर की भरपाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि घटे हुए किराए की उपयोग करने वाले यात्रियों की एक बड़ी संख्या के आकर्षित होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में टल गया बड़ा हादसा, जमीन में धंसा बिल्डिंग का पिलर

रायगढ़, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक बड़ी घटना टल गई है। यहां महाड शहर की प्रभात कॉलोनी में बिल्डिंग का एक हिस्सा जमीन

मौके पर पहुंच चुके हैं। पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं बता दें कि इससे पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार



में धंस गया। धारिया कॉम्प्लेक्स में शिवम बिल्डिंग हल्का टेढ़ा हो गया है और खतरनाक स्थिति में खड़ा है। जानकारी के मुताबिक इमारत के चार पिलर की नींव जमीन के नीचे मिट्टी में धंस गई है।

बता दें कि इस बाबत खबर लगते हैं नगर पालिका द्वारा इमारत में रह रहे 18 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं महाड नगर प्रशासन, फायर ब्रिगेड, पुलिस, आरसीसी सलाहकार को सेक्टर 96 के पास सड़क पर गहरी दरार पड़ गई।

ये दरार 12-15 फीट लंबी और लगभग 2 फीट चौड़ी थी। साथ ही इस कारण यहां भारी जाम भी देखने को मिला था। वहीं इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है जब देश के अलग अलग इलाकों में कही मकान तो कहीं जमीन ही धंस गई। इन दिनों जोशीमठ के भूदंसाव का मामला सुर्खियों में भी बना हुआ है।

शादी के लिए महाराष्ट्र से लड़कियों का अपहरण अहमदाबाद में खरीद-फरोख्त, देवेंद्र फडणवीस के बयान से हड़कंप



मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में एक हैरत भरी बात सामने आई है। जिसे खुद राज्य की शिर्दे-फडणवीस सरकार ने स्वीकार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह माना है कि राज्य में अब भी गरीब लड़कियों का खरीद-फरोख्त होती है। राजस्थान और गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित गांवों में शादी के लिए एक से दो लाख रुपये में लड़कियों का सौदा होता है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखित उत्तर में कहा कि इस साल जनवरी में शादी-ब्याह के लिए लड़कियों के अपहरण के 24 मामले दर्ज किए गए। 2021 में इस तरह के मामलों में 448 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

विधान परिषद के सदस्य महादेव जानकर ने यह मामला उठाया था। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एनसीआरबी की 'क्राइम इन इंडिया-2021' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में 405 मामलों में 418 महिलाओं का अपहरण किया गया था, जिसमें 363 नाबालिंग लड़कियां थीं। यह मामला सामने आने के बाद से सियासी हड़कंप मचा

हुआ है। 21वीं सदी जब महिलाओं की साक्षरता और सुरक्षा पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे माहौल में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।

लड़कियां हो रहीं गायब

विधान परिषद के सदस्य विलास पोतनीस व सुनील शिंदे ने मुंबई से गायब हो रहीं लड़कियों के संबंध में सवाल पूछा। इस पर फडणवीस ने

कहा कि 2022 में महिला अत्याचार के कुल 6133 मामले दर्ज किए गए। मुंबई से 1330 नाबालिंग लड़कियां गायब हुईं, जिनमें 1097 तो मिल गईं, लेकिन 233 लड़कियों का अब तक पता नहीं चला है। 2022 में 18 साल से ज्यादा की 4437 महिलाएं गायब हुईं, जिनमें से 1398 का अता-पता नहीं चला।

मुंबई में पति को प्रेमिका के साथ देखकर भड़की पत्नी, बीच सड़क पर गाड़ी रोक मचाया बवाल

मुंबई: वैसे तो पति-पत्नी के झगड़ा का मामला आए दिन खबरों में आती रहती है। लेकिन इस वायरल वीडियो में एक अलग ही मामला सामने आया है। जहां बीच सड़क पर एक पत्नी ने अपने पति के गाड़ी को रोक कर हमला कर देती है। इसके कारण ट्रैफिक काफी

पेडर रोड का है जहां जब बीच सड़क पर एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमिका के साथ रो हाथों पकड़ लिया। देखते ही देखते मामला इतना तूल पकड़ लिया कि उस महिला ने बीच सड़क पर अपने पति का गारी रोक कर बवाल मचाने लगी। महिला ने अपने पति के बोनट पर बैठ कर अपनी जूती से कार के शीशे पर मरने

लगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, लोग भी इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। इस दौरान ट्रैफिक पर इतना बुरा असर पड़ा। महिला का पति जब गाड़ी से निकला तो महिला ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद उस कार में बैठी

प्रेमिका के शाथ मार पिटाइ सुरु कर दी। मामले को सुलझाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को बीच में आना पड़ा। काफी जबौजहद के बाद किसी तरह मामला शांत कराया गया। फिर जाकर ट्रैफिक जाम हटाया गया। दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है।



शिवसेना विधायक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप, 2 गिरफ्तार



मुंबई: शिवसेना विधायक की वीडियो से काट-छांट कर वायरल करने के आरोप में महाराष्ट्र की दहीसर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 509, 500 और 67 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने शिवसेना विधायक (शिंदे गुट) प्रकाश सुवें का एक महिला नेता के साथ आपत्तिजनक वीडियो में काट-छांट कर अश्वील टेक्स्ट के साथ वायरल कर दिया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दहीसर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि शिवसेना की एक

महिला नेता और विधायक प्रकाश सुवें हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली में शामिल हुए थे। इसी रैली के दौरान महिला नेता और विधायक की वीडियो में काट-छांट कर अश्वील टेक्स्ट के साथ वायरल कर दिया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दहीसर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

‘कार का टायर फटना ईश्वरीय कृत्य नहीं, मानवीय लापरवाही है’

बॉम्बे HC ने खारिज की बीमा कंपनी की याचिका

मुंबई : एक के टायर का फटना कोई ईश्वरीय कृत्य नहीं कहा जा सकता है, यह मानवीय लापरवाही का मामला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बीमा कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कार दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के खिलाफ बीमा कंपनी की याचिका खारिज कर दी है।

परिवार को मुआवजा देने का निर्देश

न्यायमूर्ति एस जी डिंगे की एकल पीठ ने 17 फरवरी के अपने आदेश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 2016 के फैसले के खिलाफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि इसमें पीड़ित मकारंड पटवर्धन के परिवार को 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

टायर फटने से हुआ था हादसा

गैरतरलब है कि 38 वर्षीय पटवर्धन 25 अक्टूबर 2010 को दो साथियों के साथ पुणे से मुंबई जा



रहा था। तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण कार का पिछला पहिया फट गया और कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में पटवर्धन की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा था कि पीड़ित अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था।

टायर के फटने को ईश्वर का कार्य नहीं कहा जा सकता

बीमा कंपनी ने अपनी अपील में कहा कि मुआवजे की राशि काफ़ी बड़ी है और टायर फटना ईश्वर का कार्य था न कि चालक की ओर से लापरवाही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की इस अपील को खारिज कर दिया और कहा

टायर फटने के कई कारण

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टायर फटने के कई कारण हैं जैसे तेज रफ्तार, कम हवा, जरूरत से ज्यादा हवा या सेकेंड हैंड टायर और तापमान। वाहन के चालक या मालिक को यात्रा से पहले टायर की स्थिति की जांच करनी चाहिए थी। टायर फटने को प्राकृतिक कृत्य नहीं कहा जा सकता। यह मानवीय लापरवाही है। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल टायर फटना कहना ईश्वर का कार्य है, यह बीमा कंपनी को मुआवजा देने से बरी करने का आधार नहीं हो सकता है।

कि ईश्वरीय कृत्य एक अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना को संदर्भित करता है जिसके लिए कोई भी मानव जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि टायर के फटने को ईश्वर का कार्य नहीं कहा जा सकता है। यह मानवीय लापरवाही का कार्य है।



आने वाले दिनों में दोनों पूर्व मंत्रियों अनिल परब और हसन मुश्तीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं

मुंबई: ईडी ने एनसीपी नेता वीडियो से काट-छांट कर वायरल करने के आरोप में महाराष्ट्र की दहीसर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 509, 500 और 67 के तहत मामला दर्ज किया है। इस पर अलग से कार्रवाई कर चुकी है। मुश्तीफ महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए आजकल मुंबई में है। बताया जाता है।

कि ईडी की टीम 10 वाहनों में सुवह पूछताछ की। इस बीच उनके घर सात बजे मुश्तीफ के घर पहुंची। ईडी के बाहर जमा कार्यकर्ता बीजेपी के ने पूरे परिवार से आठ घंटे तक मैराथन

और मुश्तीफ समर्थकों में धक्का-मुक्की भी हुई। दूसरी तरफ ईडी ने पूर्व मंत्री अनिल परब पर भी शिकंजा कसना शुरू किया है। ईडी ने सदानंद कदम को अरेस्ट किया है। कदम को अनिल परब का करीबी माना जाता है। इस बात की भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में परब पर भी कार्रवाई हो सकती है।

इधर मुश्तीफ की तरफ से खुद पर दर्ज गुनाह रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में 24 मार्च तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस बात पर आश्वस्त किया है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया को कोर्ट के आदेशों और एफआईआर की कॉमी कैसे मिल जाती है? हाईकोर्ट ने एप्रिल सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है।

मुंबई का हवाईअड्डा बना

‘वसूली अड्डा’, बैक टू बैक आ रहे G-Pay एक्सटॉर्चन केस, CBI भी हैरान



मुंबई : मुंबई एयरपोर्ट पर एक्सटॉर्चन का ऐसा सिंडिकेट सामने आया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। खबर है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के कुछ अधिकारी G-Pay के जरिए एक्सटॉर्चन का सिंडिकेट चला रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे 5 मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने बैक टू बैक 3 और इसी तरह के मामले दज किए हैं। G-Pay एक्सटॉर्चन कांड में हाल ही में एयरपोर्ट पर 38 अधिकारियों के तबादले भी किए गए लोकिन महज हफ्ते भर में तीन और G-Pay एक्सटॉर्चन मामलों ने साफ कर दिया है कि मुंबई एयरपोर्ट इस वक्त कस्टम ऑफिसरों के एक्सटॉर्चन का अड्डा बना हुआ है।

पहला मामला- सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक पीड़ित पैसेंजर दुर्बल से वापस लौटा और करपट एयरपोर्ट एक्सटॉर्चन के बाहर वसूले और 30 हजार रुपए एक दुसरे लोडर के G-Pay अकाउंट में डिलाकर वसूले गए। बाद में पीड़ित ने जब कस्टम द्यूटी की रसीद मांगी तब उसे डराकर समझाया गया कि वसूली गई रकम पीड़ित के प्रोटेक्शन मनी के तौर पर वसूले गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में

ले गया था, लेकिन जब बहन ने उसके इस गिफ्ट को लेने से मना किया तो वापस वो गोल्ड ज्वेलरी लेकर मुंबई लौटा था। कस्टम ऑफिसर आलोक कुमार ने उसकी दलील मानने से मना करते हुए उसके पासपोर्ट को जप्त कर लिया और उसे 1 लाख 20 हजार रुपए कस्टम द्यूटी भरने के नाम पर एक्सटॉर्चन किया। इसके बाद एक एयरपोर्ट लोडर के जरिए उसके घरवालों से मंगाए गए 90 हजार रुपए कैश लोडर के जरिए एयरपोर्ट के बाहर वसूले और 30 हजार रुपए एक दुसरे लोडर के G-Pay अकाउंट में डिलाकर वसूले गए। बाद में पीड़ित ने जब कस्टम द्यूटी की रसीद मांगी तब उसे डराकर समझाया गया कि वसूली गई रकम पीड़ित के प्रोटेक्शन मनी के तौर पर वसूले गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में

कस्टम ऑफिसर आलोक कुमार, कैश वसूले वाले लोडर राजेश पितले और G-Pay से पैसे वसूले वाले लोडर रोहित गायकवाड़ को आरोपी बनाया है।

दूसरा मामला- सीबीआई ने जो दूसरा मामला दर्ज किया है वो पीड़ित पैसेंजर बैक टू बैक से लौटा था। यात्री अपने साथ नए जूते, घड़ियां और गोल्ड ऑनमैट लाया था। एक बार फिर करपट कस्टम सुप्रिंटेंट आलोक कुमार का नाम सामने आया जब उन्होंने उस पैसेंजर को डिटेन किया और 60 हजार की कस्टम द्यूटी मांगी और लंबे नेशनल एंबेन्ट के बाद 10,500 रुपए की डील फाइनल करते हुए पहले मामले के आरोपी एयरपोर्ट लोडर रोहित गायकवाड़ के एकाउंट में ट्रांसफर करवाया।